न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 159 / 2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
सार्वजनिक वानर देव स्मृति ट्रस्ट मंदिर,छतरीयो का मोर्चा बालोतरा जिला बाड़मेर जरिये व्यवस्थापक श्री रोहित सोलंकी पुत्र श्री शंकरलाल सोलंकी जाति माली निवासी बालोतरा व जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता,प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पचपदरा विप्रार्थी उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक– 06.9.2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:41 IST
Reason: SelfAttested

1.संक्षेप में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्रा[illegible]लो[illegible] खालसा गांव रहा है,जिसमें एक से अधिक सेन्टलमेंट प्रभाव में अभी है प्रथम [illegible] 2012 मुताबिक वर्ष 1955 में प्रभाव में आया। कस्बा बालोतरा के वार्ड नम्बर 10 बमौहल[illegible] छतरियो का मोर्चा पर सार्वजनिक वानर देव मंदिर बना हुआ है,जहां पर भगवान हनुमानजी,शिव परिवार,संतोषी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

…ाता,रामदेवीजी व अन्य देवी देवताओं के बड़े मन्दिर बनें हुए है,जो सन 1938 में मंदिर निर्मि… हुआ था और प्रथम सेटलमेंट पूर्व से ही मंदिर बना हुआ था। मंदिर की भूमि गत बंदोबस्त अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं थी तथा मंदिर भूमि के रूप में उपयोग ली जा रही थी तथा वर्तमान में भी सार्वजनिक वानर देव मंदिर बालोतरा की भूमि पर ट्रस्ट का व उक्त भूमि के हकपूर्वाधिकारी का अपने पूर्वजो के समय से कब्जा चला आ रहा है। कि प्रथम सेटलमेंट के अनुसार द्वितिय सेटलमेंट में भूमियों के रकबे व नक्शे में परिवर्तन किया गया। सार्वजनिक वानर देव मंदिर आबादी भूमि के भाग के भीतर स्थित है,उक्त भूखण्ड लूणी नदी की सीमा के भीतर नहीं है और न ही उक्त भूखण्ड के जरीयें प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरान के भू भाग पर अतिक्रमण किया हुआ है। इसके उपरांत भी सेटलमेंट विभाग के राजस्व अधिकारियो ने विवादित भूमि का गलत तरीके से एकतरफा [illegible] हुए सार्वजनिक वानर देवी स्मृति ट्रस्ट मंदिर भूमि को गैर मुमकिन नदी में होना [illegible] में गलत तरमीम कर दी गई। अतःप्रार्थी द्वारा अपनी मालिकाना [illegible] आबादी भूमि मानतें हुए मौका स्थिति अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को [illegible] नोटिस तलब किया। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश कर प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

3.विवादित भूमि की मौका व रेकर्ड स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कमेटी अदालत द्वारा गठित कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई।

4.उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है,कि कस्बा बालोतरा के वार्ड नंबर 10 बमौहल्ला छतरियो का मोर्चा पर सार्वजनिक वानर देव मंदिर बना हुआ है,जहां पर भगवान हनुमानजी,शिव परिवार,संतोषी माता,रामदेवजी व अन्य देवी–देवताओं के बडे मंदिर बने हुए है,जो सन् 1938 में मंदिर निर्मित हुआ था व समय–समय पर दानदाताओं द्वारा उक्त मंदिर का जीर्णोद्धार व अन्य छोटे–मोटे कार्य मंदिर समिति द्वारा करवाये जाते रहें है। मंदिर में

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिदिन सुबह शाम पूजारी द्वारा पूजा आरती व अन्य धार्मिक अनुष्ठान हवन,यज्ञ व सामाजिक त्यौंहारो के समय बड़े आयोजन भी किये जाते रहे है। उक्त मंदिर राजस्व विभाग के प्रथम व द्वितीय सेटलमेंट से पूर्व में निर्मित है व बालोतरा शहर के धार्मिक प्रवृति के लोगों द्वारा चंदा इकट्ठा कर उक्त मंदिर का निर्माण करवाया गया। कि उक्त मंदिर की समुचित रूप से देखभाल हो सके व समय–समय पर धार्मिक आयोजन व अन्य व्यवस्था जिससे कि मंदिर सुचारू रूप से चल सके,इस हेतु मंदिर परिसर के बाहरी भाग मुख्य बाईपास रोड़ जो छत्रीयों का मोर्चा से तृतीय रेल्वे फाटक व आगे राष्ट्रीय राजमार्ग बाडमेर को जाती है, पर अवस्थित है व बाहर की तरफ मंदिर की आय हेतु चार दुकानों का निर्माण करवाया हुआ है व उक्त दुकानें वर्तमान में किराये पर दी हुई है व किराये से होने वाली आय से मंदिर का व पूजारी का व अन्य व्यवस्थाओं का संचालन व विद्युत का भुगतान किया जाता है। कि पूर्व में नायब तहसीलदार कार्यालय जसोल द्वारा मंदिर परिसर के बाहर बनी दुकानों के किरायेदारों रतनलाल माली,अशोक कुमार,जोगाराम नाई, मुरलीधर माली के नाम से धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये गये थे,जिनका मंदिर ट्रस्ट व किरायेदारों द्वारा जवाब व अन्य साक्ष्य सबूत माननीय नायब तहसीलदार कार्यालय में पेश किये गये व बाद सुनवाई मंदिर के किरायेदारों के विरूद्ध निर्णय किया गया। जिसके विरूद्ध मंदिर ट्रस्ट व किरायेदारो द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय बाडमेर के कार्यालय में निर्धारित म्याद में अपील पेश की गयी,उक्त अपील के दौरान माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा पुनः सुनवाई हेतु उक्त प्रकरण पुनः नायब तहसीलदार कार्यालय जसोल को रिमाण्ड किये गये। जो प्रकरण आज भी नायब तहसीलदार कार्यालय में विचाराधीन है। लुणी नदी में अतिक्रमण से संबंधित मामलों की रिट याचिका के दौरान पुनः मंदिर ट्रस्ट के बाहर बनी दुकानों को लुणी नदी में अतिक्रमी मानकर नोटिस जारी किये गये व उक्त मंदिर परिसर व दुकाने हटाने बाबत प्रशासन द्वारा कार्यवाही करने पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका में प्रार्थी द्वारा पक्षकार बनकर वर्तमान में यथास्थिति आदेश प्राप्त किया हुआ है। चूंकि उक्त मंदिर ट्रस्ट व उसके बाहर बनी दुकाने लुणी नदी के

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:41 IST
Reason: SelfAttested

अंदर नहीं होकर लुणी नदी के किनारे आबादी क्षेत्र में है व लुणी नदी के बहाव क्षेत्र से करीब 100 फिट दूरी पर है,जहां से शहर व बाईपास व अन्य रास्तों से आवागमन हेतु मुख्य नगर पालिका सड़के बनी हुई है व सघन आबादी बसी हुई है व नगर परिषद के सरकारी भवन भी बने हुए हैं। जिनका संचालन व देखरेख वर्तमान में नगर परिषद बालोतरा द्वारा किया जा रहा है व उक्तमंदिर ट्रस्ट व दुकाने बालोतरा शहर की मुख्य व सघन आबादी क्षेत्र में होने से अतिक्रमी नहीं है। अतःप्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती फरमाई जाकर मंदिर ट्रस्ट व मंदिर के बाहर बनी दुकानों को लुणी नदी अतिक्रमण नहीं मानकर आबादी क्षेत्र में घोषित किये जाने व इसी अनुसार सेटलमेंट व राजस्व रेकर्ड में भी तरमीम **दुरूस्त** की जावें।

6.इसके विपरीत विप्रार्थी की बहस है,कि प्रार्थी की [illegible] आवेदन–पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है,जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित [illegible] सेटलमेन्ट संवत 1982 अर्थात् सन् 1925 में हुआ था,जहां आबादी [illegible] बसी हुई थी,जिसका रकबा राजस्व रेकर्ड में आबादी के रूप में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेन्ट वर्ष 1955 में किया गया तथा तृतीय सेटलमेंट वर्ष 1967 में हुआ है तत्समय सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा नदी के बहाव क्षेत्र एंव पानी के भराव क्षेत्र में आने वाली भूमि को गै.मु.नदी दर्ज किया गया,जो वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों के द्वारा जल पातायतन की भूमि सही दर्ज की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया,कि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नदी पातायतन पानी बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र का बारीकी से सर्वे करवातें हुए आबादी बसावट के अनुसार आबादी दर्ज की गई है तथा पानी भराव क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के भूखण्ड परिसर गैर मुमकिन नदी में आया हुआ है,जो कि गैर कानूनी है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है,क्योंकि विवादित भूखण्ड प्रार्थी का आबादी क्षेत्र में न होकर गैर मुमकिन नदी भूमि के अन्दर अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि की रेकर्ड नक्शा दुरूस्ती करवाने का हकदार नहीं है। क्योंकि विवादित भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में अवैध रूप से बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:41 IST
Reason: SelfAttested

कथन किया कि राजस्व रेकर्ड नक्शा दुरुस्ती उसी में हो सकती है,जो दौराने कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवंश गलती हुई हो। लेकिन हस्तगत आवेदन–पत्र में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर विस्तृत सर्वे करते हुए हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड में संधारण किया था। इस प्रकार प्रार्थी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं हैं,क्योंकि प्रार्थी द्वारा गै.मु.नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड़ में राजस्व अभिलेख व नक्शा लक्ठ़ा में तरमीम दुरुस्त करवाने की फिराक में है। जिसमें प्रार्थी सफलता प्राप्त करने का हकदार नहीं है। क्योंकि प्रार्थी जिस भू–भाग पर काबिज है,गत सेटलमेन्ट अनुसार खसरा नम्बर 456 गैर मुमकिन नदी का है एवं वर्तमान सेटलमेन्ट अनुसर भी खसरा नम्बर 870 गैर मुमकिन नदी का है। इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन–पत्र सारहीन व गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज फरमावें।

7.हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड मय दस्तावेजात का गम्भीरता–पूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 आर.एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर आवेदन–पत्र व अपनी बहस में मुख्य इस्तदूआ चाही गई है कि श्री सार्वजनिक वानर देव स्मृति ट्रस्ट मंदिर समिति बालोतरा की भूमि पर ट्रस्ट का व उक्त भूमि के हकपूर्वाधिकारी का अपने पूर्वजो के समय से कब्जा चला आ रहा है,उक्त मंदिर प्रथम सेटलमेंट से पूर्व आबादी क्षेत्र में बना हुआ है और लेकिन सेटलमेंट विभाग के राजस्व अधिकारीयों द्वारा गलत तरीके से तत्समय सीमाकंन करतें हुए मंदिर आबादी भूमि में होने के उपरांत भी गैर मुमकिन नदी में रेकर्ड व तरमीम अंकन कर दी गई,जो आदिनांक तक गलत तरीके से किया गया रेकर्ड इन्द्राज चला आ रहा है,जिसे निरस्त करते हुए मंदिर को आबादी भूमि की सीमाओं के भीतर होना मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शें में तरमीम दुरुस्ती करवाना चाहते हैं। जबकि मंदिर जिस भू–भाग पर काबिज है,वह गत सेटलमेन्ट अनुसार भी खसरा नम्बर 456 किस्म गैर मुमकिन नदी का है एवं वर्तमान सेटलमेंट अनुसार भी खसरा संख्या

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:41 IST
Reason: SelfAttested

370 गैर मुमकिन नदी का है। इससे स्पष्ट है कि मंदिर गैर मुमकिन नदी के अन्दर अवस्थित है,जो एक प्रकार से अतिक्रमण ही माना जा सकता है। जबकि प्रथम सेटलमेन्ट सन् 1925 में हुआ था व द्वितीय सेटलमेन्ट भी सन् 1955 में हुआ था तथा तृतीय सेटलमेंट वर्ष 1967 में हुआ था,तत्समय सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा विस्तृत सर्वे करते हुए मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड संधारण किया था। जो कि विवादित भूमि आबादी में नहीं होकर गैर मुमकिन नदी का ही भाग है। इस प्रकार अदालत का यह मानना है,कि प्रार्थी विवादित भूमि की रेकर्ड नक्शा दुरुस्त करवाने का हकदार प्रतीत नहीं होता है,क्योंकि वक्त सेटलमेन्ट से आदिनांक तक रेकर्ड में गैर मुमकिन नदी इन्द्राज है। सेटलमेन्ट को हुए लगभग 65 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है,इतने वर्षों तक प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के रेकर्ड दुरुस्ती संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई,इस बिन्दु [illegible] कोई सन्तोषप्रद जवाब/तर्क नहीं दिये गये। प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी [illegible] नहीं किया,जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि गैर मुमकिन नदी [illegible] होकर आबादी भूमि की सीमा के भीतर हो। प्रार्थी द्वारा केवलमात्र मौखिक कथन किये है,कि प्रार्थी की भूमि गैर मुमकिन नदी में नहीं होकर आबादी भूमि की सीमाओं में आती है,यह तर्क मानने योग्य नहीं है। क्योंकि मौखिक कथन से राहत प्रदान नहीं की जा सकती है,इसके लिये दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों का होना आवश्यक है। जहां तक प्रार्थी वकील द्वारा तर्क दिये थे,कि मंदिर का निर्माण सेटलमेंट पूर्व ही हो गया था,लेकिन सेटलमेंट अधिकारीयों की गलती से आबादी भूमि में मंदिर का अंकन करने के बजाय गैर मुमकिन नदी का भाग दर्शा दिया गया,जो की रेकर्ड में गलत इन्द्राज प्रविष्टि होने के कारण निरस्त कर पूर्व स्थिति बहाल की जावें। लेकिन इस संबध में प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तोवजी साक्ष्य पेश नहीं किया,जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता हो कि मंदिर गैर मुमकिन नदी में न होकर आबादी सीमा के अन्दर हों। प्रार्थी पक्ष की ओर से केवलमात्र मौखिक कथन ही किये गये है,जो कि मानने योग्य नहीं है। क्योकि अपने आवेदन पत्र को स्वीकार करवानें के लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश किये जाने अति आवश्यक होतें है। लेकिन ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश करने में प्रार्थी पक्ष असफल रहा है। ऐसी सूरत में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस प्रकार अदालत द्वारा समुचित विवेचन किये जाने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंची है,कि आवेदन–पत्र में ऐसा कोई सारभूत तथ्य व दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है,जिससे स्पष्ट हो सके कि विवादित भूमि की तरमीम दुरुस्ती योग्य हों। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन–पत्र सारहीन तथ्यों को आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

8.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 आर.एल.आर. एक्ट प्रकरण में सारभूत तथ्य निहित नहीं होने व सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड **अधिकारी बालोतरा**

आदेश आज दिनांक 06.09.22 को लिखा जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.11 19:09:41 IST
Reason: SelfAttested